सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 625 राँची , सोमवार

3 भाद्र, 1937 (श०)

25 अगस्त, 2015 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

संकल्प

18 अगस्त, 2015

विषय: **I.A. No. 297 in I.A. No. 71 in W.P.(Civil) No. 1022/1989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में शेट्टी कमीशन द्वारा जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की गई अनुशंसाओं को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में।**

संख्या-6/एस॰-4(वे॰पु॰)-08/2009(वि॰)/2463--वि०पाँचवाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा फिटमेंट कमिटी का गठन किया गया एवं फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य कर्मियों हेतु की गयी अनुशंसा के अनुरूप जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं

वर्ग-4 के कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 08 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदान किया गया।

2. W.P.(Civil) No. 1022/1989 All India Judges Association & others Vs Union of India & others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के संबंध में शेट्टी कमीशन द्वारा की गयी अनुशंसा को लागू करने हेतु आदेश पारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामले में शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। किन्तु गैर न्यायिक सेवा के मामले में शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सका। न्यायिक पदाधिकारियों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तर्ज पर जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों द्वारा शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं को स्वीकृत करने की मांग की जाने लगी। जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों द्वारा की गयी मांग पर राज्य सरकार के स्तर पर गहन समीक्षा की गयी। किन्तु उस समय प्रभावी वेतनमान शेट्टी कमीशन द्वारा उक्त कर्मियों के लिए अनुशंसित वेतनमान से अधिक होने की स्थिति में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

3. छठे केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्यकर्मियों केा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान लागू किया गया। राज्यकर्मियों के मामले में लागू पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप झारखण्ड स्टेट सिविल कोर्ट इम्पलाईज के मामले में भी वेतनमान लागू करने हेतु विधि सचिव, झारखण्ड को सम्बोधित, संबंधित इम्पलाई एसोसिएशन का पत्र रजिस्ट्रार जेनरल, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव, वित्त को समर्पित किया गया। इस क्रम में व्यवहार न्यायालय के कतिपय कर्मियों द्वारा भी अभ्यावेदन मुख्य सचिव एवं सचिव, वित्त को समर्पित करते हुए छठे केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान

करने का अनुरोध किया गया, जिस पर समीक्षोपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1317/वि॰ दिनांक 20 अप्रैल, 2009 द्वारा जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के मामले में छठे वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया गया।

4. I.A. No. 297 in I.A. No. 71 in W.P.(Civil) No. 1022/1989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में शेट्टी कमीशन द्वारा की गई अनुशंसाओं को दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रभाव से लागू करने का आदेश दिनांक 16 मार्च, 2015 को पारित किया गया।

5. I.A. No. 297 in I.A. No. 71 in W.P.(Civil) No. 1022/1989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में शेट्टी कमीशन द्वारा की गई अनुशंसाओं को दिनांक 01 अप्रिल, 2003 के प्रभाव से लागू करने का मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

6. जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 1996 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान एवं शेट्टी कमीशन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रभाव से अनुशंसित वेतनमान् संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र॰	पदनाम	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान	शेट्टी कमीशन द्वारा दिनांक 01.04.2003 से 31.12.2005 तक के लिए अनुशंसित वेतनमान	शेट्टी कमीशन द्वारा अनुशंसित भत्ता
1.	सिरिस्तेदार	5500-9000	8000-13500	-
2.	प्रोसेस सर्वर	2550-3200	2750-4400	FTA not less than 200/- per month
3.	दफ्तरी	2610-3540	2650-4000	-
4.	माली	2650-4000	2650-4000	-
5.	स्टेनोग्राफर			
(i)	(ग्रेड-I)	5500-9000	5000-8000	(i) स्टेनों जो शहरी परिक्षेत्र में है, 150/-
(ii)	(ग्रेड-II)	5000-8000	4500-7000	

(iii)	**(ग्रेड-III)**	4000-6000	4000-6000	**प्रतिमाह TA (ii) स्टेनो जो तालुका/तशील/जिलों में पदस्थापित है**, 100/- **प्रतिमाह TA**
6.	**बेंच क्लर्क**			
(i)	**(ग्रेड-I)**	Not existing	**5500-9000**	-
(ii)	**(ग्रेड-II)**	Not existing	**5000-8000**	-
(iii)	**(ग्रेड-III)**	**4000-6000**	**4000-6000**	-
7.	**चालक**	3050-4590	3050-4590	**150/- प्रतिमाह (**Special Allowance**)**
8.	**चतुर्थ वर्ग कर्मचारी**	2550-3200	2610-3540	**चिकित्सा भत्ता** 100/- **प्रतिमाह**
9.	Common Category Post :-		One increment at initial rate	
(i)	Head Clerk/Head Comparing Clerk/R.K. /Nazir/BC to DJ etc.	**5000-8000**	**5000-8000**	
(ii)	Bench Clerks to other Courts/Clerks/Bill Clerks	**4000-6000**	**4000-6000**	
(iii)	Steno Gr.III	**4000-6000**	**4000-6000**	

7. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** I.A. No. 297 in I.A. No. 71 in W.P.(Civil) No. 1022/1989 **में पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि** "In any case, if the members of the staff association/subordinate staff getting higher benefits under any of the recommendations of the pay commission/Government orders, they shall be permitted to avail those benefits."

8. **अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** I.A. No. 297 in I.A. No. 71 in W.P.(Civil) No. 1022/1989 **में पारित आदेश के आलोक में जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-**3 **एवं वर्ग-**4 **के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों को दिनांक** 01 **अप्रैल,** 2003 **के प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2005 तक के लिए निम्न शर्त्तों के अधीन स्वीकृत करने का निर्णय लिया है:-**

क्र०	पदनाम	शेट्टी कमीशन द्वारा अनुशंसित वेतनमान	शेट्टी कमीशन द्वारा अनुशंसित भत्ता
1.	**सिरिस्तेदार**	8000-13500	-
2.	**प्रोसेस सर्वर**	2750-4400	FTA not less than 200/- per month
3.	**दफ्तरी**	2650-4000	-
4.	**माली**	2650-4000	-
5.	**स्टेनोग्राफर**		
(i)	**(ग्रेड-I)**	5500-9000	**(i) स्टेनों जो शहरी परिक्षेत्र में है,**

(ii)	**(ग्रेड-II)**	5000-8000	150/- **प्रतिमाह TA**
(iii)	**(ग्रेड-III)**	4000-6000	**(ii) स्टेनो जो तालुका/तहशील/जिलों में पदस्थापित है**, 100/- **प्रतिमाह TA**
6.	**बेंच क्लर्क**		
(i)	**(ग्रेड-I)**	**5500-9000**	-
(ii)	**(ग्रेड-II)**	**5000-8000**	-
(iii)	**(ग्रेड-III)**	**4000-6000**	-
7.	**चालक**	3050-4590	**150/- प्रतिमाह (**Special Allowance**)**
8.	**चतुर्थ वर्ग कर्मचारी**	2610-3540	**चिकित्सा भत्ता** 100/- **प्रतिमाह**
9.	**Common Category Post :-**		
(i)	Head Clerk/Head Comparing Clerk/R.K. /Nazir/BC to DJ etc.	**5000-8000**	
(ii)	Bench Clerks to other Courts/Clerks/Bill Clerks	**4000-6000**	
(iii)	Steno Gr.III	**4000-6000**	

(i) **जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-**3 **एवं वर्ग-**4 **के सभी कर्मचारियों को दिनांक** 01 **अप्रैल,** 2003 **के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण के क्रम में दिनांक** 31 **मार्च,** 2003 **को प्राप्त वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देकर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का पुनरीक्षण किया जाएगा।**

(ii) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक** 1 **अप्रैल**, 2003 **से दिनांक** 31 **दिसम्बर,** 2005 **तक के बकाये राशि का भुगतान**, **एकमुश्त में दिनांक** 31 **दिसम्बर,** 2015 **के पूर्व किया जाना है। तदनुसार प्रशासी विभाग बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा।**

9. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में पांचवें वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में शेट्टी कमीशन द्वारा की गई अनुशंसाओं को लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक** 1 **जनवरी,** 2006 **के प्रभाव से जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-**3 **एवं वर्ग-**4 **के कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार प्रतिस्थानी वेतनमान निम्न शर्त्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः-**

क्र०	**पदनाम**	**शेट्टी कमीशन द्वारा दिनांक 01.04.2003 से 31.12.2005 तक के लिए अनुशंसित वेतनमान**	**दिनांक 01. 01.2006 के प्रभाव से प्रतिस्थानी वेतनमान**
1.	**सिरिस्तेदार**	8000-13500	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 5400**
2.	**प्रोसेस सर्वर**	2750-4400	**-IS, 4440-7440, ग्रेड पे 1650 (नन मैट्रिक) PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 1800 (मैट्रिक)**
3.	**दफ्तरी**	2650-4000	**-IS, 4440-7440, ग्रेड पे 1650 (नन मैट्रिक) PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 1800 (मैट्रिक)**

4.	**स्टेनोग्राफर**		
(i)	**(ग्रेड-I)**	**5500-9000**	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4200**
(ii)	**(ग्रेड-II)**	**5000-8000**	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4200**
(iii)	**(ग्रेड-III)**	4000-6000	**PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 2400**
5.	**बेंच क्लर्क**		
(i)	**(ग्रेड-I)**	**5500-9000**	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4200**
(ii)	**(ग्रेड-II)**	**5000-8000**	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4200**
(iii)	**(ग्रेड-III)**	**4000-6000**	**PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 2400**
6.	**चालक**	3050-4590	**PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 1900**
7.	**चतुर्थ वर्ग कर्मचारी**	2610-3540	**-IS, 4440-7440, ग्रेड पे 1650 (नन मैट्रिक)** **PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 1800 (मैट्रिक)**
8.	**Common Category Post :-**		
(i)	Head Clerk/Head Comparing Clerk/R.K. /Nazir/BC to DJ etc.	**5000-8000**	**PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4200**
(ii)	Bench Clerks to other Courts/Clerks/Bill Clerks	**4000-6000**	**PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 2400**
(iii)	Steno Gr.III	**4000-6000**	**PB-I, 5200-20200, ग्रेड पे 2400**

(i) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक** 1 **जनवरी,** 2006 **से दिनांक** 31 **मार्च,** 2015 **तक के बकाये राशि का भुगतान, एकमुश्त में दिनांक** 31 **दिसम्बर,** 2015 **के पूर्व किया जाना है तथा दिनांक** 31 **मार्च,** 2015 **के बाद के वेतन का भुगतान तत्काल किया जाना है। तदनुसार प्रशासी विभाग बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा।**

(ii) **वित्त विभागीय संकल्प संख्या** 660/**वि॰ दिनांक** 28 **फरवरी,** 2009 **की कंडिका** 15(b), 15(c), 15(d) **एवं** 15(e) **में अंकित प्रावधानों के अनुसार अन्य भत्ता देय होगा।**

(iii) **पूर्व में निर्गत संकल्प ज्ञाप संख्या** 1317/**वि॰ दिनांक** 20 **अप्रैल,** 2009 **को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।**

10. **उल्लेखनीय है कि शेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान देना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक** 16 **मार्च,** 2015 **को आदेश पारित किया जा चुका है।**

11. **प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक** 2344(**वि.) दिनांक** 07 **अगस्त,** 2015 **के क्रम में दिनांक** 11 **अगस्त,** 2015 **की बैठक के मद सं.** 08 **में दी गई है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 625–50 ।